

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 100 / प्र0अ0(त0स0-2) / जोन-2 / 2015-16 दिनांक 02 / 02 / 2016

### अनुमति-पत्र



यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती अकबरी बेगम पत्नी स्व0 बरकत उल्ला चौहान, श्रीमती तबस्सुम पुत्री श्री अब्दुल सत्तार द्वारा मकान नं0-221/277 नुरुल्लाह रोड, इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायिक भवन मानचित्र के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 01 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदिकागण का होगा।
4. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
5. अवस्थापना सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के क्रम में कोई वित्तीय देयता/प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते हैं तो उसका भुगतान/अनुपालन आवेदिका को करना बाध्यकारी होगा।
6. मानचित्र में दर्शित अशमनीय भाग को स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर कुशल इन्जीनियर की देख-रेख में स्वतः ध्वस्त कराना होगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी प्रकार का जन-धन की हानि न होने पाये, अन्यथा आवेदिका स्वतः जिम्मेदार होगी।
7. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
8. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
9. यदि आवेदिका द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
11. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्न भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
12. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
13. आवेदिका को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
14. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

मकान प्राधिकरण  
के साथ प्राप्त किया  
18/2/2016



02/02/2016  
(पुष्कर श्रीवास्तव)  
विशेष कार्याधिकारी



NOTE: PLAN TO BE DEMONSTRATED FROM THIS  
 PREP WORK DRAWING THIS

हम लोडिंग/डिग्रीज का मतलब है। मुझे प्रमाणित  
 कराने के लिए इसे हल करने का कार्यात्मक  
 प्रमाण दिया जा रहेगा।

संशोधित/संशोधित-एन  
 प्रमाणित किया जा रहा है।




SCHEDULE OF RA. WA. SIVE

1	DOOR	DU	750 x 1400
2	VENT	V	140 x 1400
3	WINDING	W	1400 x 1400
4	WINDING	W	1400 x 1400

SCHEDULE OF GREEN

1	TOUR	10-15
2	AREA LEFT FOR ROAD WIDER	21-23
3	ANY GREEN ON THE PLOT	80-82
4	PROP. COVD. GREEN ON SITION	31-33
5	PROP. COVD. GREEN ON PLOT	31-33
6	PROP. COVD. GREEN ON PLOT	31-33
7	MINIMUM GREEN	0-10
8	OPEN GREEN ON PLOT	51-53

NOTE: THIS IS TO CERTIFIED THAT THE MAP IS  
 ACCORDING TO THE MAP LAW & RULES OF  
 INDIA 2001 & URBAN 2002



PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN ON  
 EXISTING HOUSE NO. 221/272 AT ANDRULAH ROAD  
 PARBHANI & TRIGAI SHAR, DIST. HILHARDHATI

OWNER: SMT. TRISHNA  
 No. 221/272 SHAR

SIG. OF OWNER

SIG. OF ENGINEER

10/11/2024

Approved by  
 15/11/2024  
 Reg. No. 2024/15/11/2024